


6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत ब्याप आपके द्वार
केम्प लेखवा मे पेश हुई, प्रार्थोगण स्वयं उपस्थित।
तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे
शामिल पत्रावली की गई, वकील विपक्षी सं. 1 से 3 की
ओर से जवाब प्रस्तुत बही दिखा गया तथा वही
कोई उपस्थित हुआ। प्रार्थोगण ने उपस्थित होकर
बहस करनी चाही तथा बहस खुली गई। बहस
के दौरान प्रार्थोगण ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार
पत्रावली के विस्तारण किये जाने की इस्तुआ की।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर
मनन किया। विवादित आराजियात गुम लेखवा
पटवार हल्का लेखवा तहसील मांडल जिला-भीलवाड़ा
मे स्थित होकर प्रार्थोगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं।
जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की
मकल संख्या 2072 से 2075 से होती है। प्रार्थोगण
अपने स्वातेदारी आराजियात पर आने जाने बावत
आराजी नं. 695, 696, 691, 692 हैं। उक्त आराजियात
पर आने जाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण की
स्वातेदारी आराजी नं. 693 मे से पूर्व से पश्चिम
की तरफ आने जाने का रास्ता चाहा गया।
रिपोर्ट तहसीलदार मांडल एवं पटवार हल्का लेखवा
अभिलेख-वापिरास अनुसार प्रतिवादीगण की
आराजी नं. 693 के बीच से पूर्व से पश्चिम
मे 03 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे
आकर मौडे पर रास्ता बना हुआ / खुला हुआ
है मौडे के अनुसार वादीगण इस रास्ते
के विकल्प के अलावा ओर कोई अन्य रास्ता
नही है। तथा आराजी नं. 692 आलाजी
रूपान डेह स्वातेदार के मे से होकर आराजी

नम्बर में आने जाने पर एतराज नहीं है।

∴ आदेश ∴

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम लैसवा
पटवार हल्का लैसवा तहसील मांडल में स्थित
आराजी नं. 693 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा
भूमि के बीच (अद्य) में से पश्चिम से पूर्व की
तरफ 03 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आने
से प्राथमिकता से वर्तमान में प्रचलित D.L.C.
दर की दुगनी राशि प्रतिवादीगण को दिलायी
जाकर आराजी नं. 693 में से 03 बिस्वा
भूमि शार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु राजस्व
रेकार्ड व राजस्व नक्शों में तहसीलदार मांडल
अमल दरा मद करे।

पगावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा